Dean of Students Welfare Office
Ph: 05278-245210
Email: dsw@rmlau.ac.in

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकः लो0अ0वि0 / डी0एस0डब्लू / 2020 / 1035 दिनांकः 04.07.2020

अनुस्मारक -01

सेवा में,

विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, समस्त शैक्षणिक विभाग, आवासीय परिसर एवं
निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय, डा0 रा0म0लो0 अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या।

विषयः छात्रों के आधार नंबर अपडेट कराने के संबन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी अयोध्या के प्रत्र संख्या सी–144 / स0क0 / दशमोत्तर छात्र / आधार / 2020–21 दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र सख्य1461 / 26.03.2020 समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 23.06.2020 के द्वारा छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।

1. अवगत कराना है कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते है जिसके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता–पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसकों सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात सबमिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रकिया के अन्तर्गत छात्र / छात्रओं के आधार नम्बर से लिंक / सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अन्तरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस से मैप होना चाहिए।
3. छात्र द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता / पति का नाम, लिंग तथा जन्मतिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के उपरान्त आवेदन पत्र सबमिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक / सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अन्तरित होगी। यदि आधार से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नही है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

Scanned with CamScanner

Dean of Students Welfare Office
Ph: 05278-245210
Email: dsw@rmlau.ac.in

उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना आवष्यक है:

1. सभी छात्र के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
2. जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। वे छात्र आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिये।
3. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र पर अंकित अपने नाम तथा अपने माता–पिता/पति का नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता–पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।
4. हाई स्कूल अंकपत्र/प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिए।
5. आधार कार्ड में यदि लिंग (जेन्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिए।

यदि कोई छात्र अपना आधार अपडेट नही कराता है तो आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन नहीं कर सकेगा, जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र विश्वविद्यालय के वेवसाइट पर एवं जनपद के समस्त महाविद्यालयों के लागिन पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

O/C

Scanned with CamScanner